संख्या-8365(2)/नौ-5-13-286बजट/2013

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 20 फरवरी, 2014

विषयः-वित्तीय वर्ष 2013-14 में नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ में नाले के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ के पत्र संख्या-मेमो/न0पा0परि0/2013-14 दिनांक 16.12.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़** द्वारा **नगरीय जल निकासी योजना** के अन्तर्गत जल निकासी के कार्य **"सिविल लाईन में अलका होटल के पीछे विनोद के पुलिया से होकर छोटू मिस्त्री के घर की पुलिया तक नाला निर्माण"** हेतु प्रस्तावित प्राक्कलन (छायाप्रति संलग्न) के सापेक्ष प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत **₹ 51.93 लाख** पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रथम किश्त के रूप में **₹ 25.75 लाख** (रुपए पच्चीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ तथा सचिव/विशेष सचिव/सक्षम स्तर, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपॉजिट खाता/पी.एल.ए. में नहीं रखी जायेगी।

(4) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से संबंधित कराए जाने वाले कार्यो के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/नौ-5-2012-111बजट/2010, दिनांक 09.10.2012 की व्यवस्था का अनुपालन किया जायेगा।

(5) कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित नागर निकाय/कार्यदायी संस्था/जिलाधिकारी की होगी तथा कार्य निर्धारित समय-सीमा में ही पूर्ण की जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(8) प्रस्तावित कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।

(9) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का उपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा समय शासन तथा महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को भेजा जाना वांछनीय है।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत लेखाशीर्षक ***" 2215-जलपूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"*** के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-8-922/दस-14, दिनांक 20 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

<u>संख्याः-8365(3)/नौ-5-13-286बजट/2013 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
3- जिलाधिकारी, आजमगढ़।
4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
5- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन लखनऊ।
6- निदेशक, सी.एण्ड.डी.एस. उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- नियोजन अनुभाग-3/4
11- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।